



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-18052026-272663
CG-CG-E-18052026-272663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2434]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948

No. 2434]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

बिलासपुर, 7 मई, 2026

का.आ. 2526(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजनाओं को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	द.पू.म.रे. के गोंदिया (डबवा)—नागपुर (इतवारी) (133.38 कि.मी.) के बीच चौथी लाईन

[फ़ा. सं. डी.सी. ई/सी/वडसा/विशेष रेल परियोजना /37ए/2]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 7th May, 2026

S.O. 2526(E).—In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notices the projects mentioned in table below as Special Railway Project in the state of Maharashtra for providing national infrastructure for public purpose with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

S.N	Project Name
1.	4 th line between Gondia (Dawwa)-Nagpur (Itwari) (133.38 Km) of SECR

[F. No. DCE/C/WSAP/Spl. Rly .Project/37A/2]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con)